www.sanjanabharati.com

दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित

facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 आपातकाल: आधी रात जब छिन गए थे...

3 केशव प्रसाद मौर्य ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के...

4 प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 के तहत आए...

वर्ष: 9 | अंक: 242 | दिल्ली, गुरुवार, 26 जून 2025 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

आपातकाल की काली यादों के इतिहास पर दिल्ली सरकार की प्रदर्शनी

21 महीनों तक चले आपातकाल में लाखों लोगों को बिना कारण जेल में डाला गया-सीएम रेखा गुप्ता

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने 25 जून 1975 को देश में लगे आपातकाल की 50वीं बरसी के अवसर पर "संविधान हत्या दिवस" के रूप में याद करते हुए कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा की उपस्थिति में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा किया गया।

प्रदर्शनी में आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं से संबंधित दुर्लभ फोटोग्राफ्स, सरकारी दस्तावेज, डिटेंशन ऑर्डर और प्रेस कटिंग्स को दिल्ली सरकार की हिन्दी अकादमी कला, संस्कृति एवं भाषा सहयोग से आमजन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रदर्शनी का आयोजन दिल्ली सरकार की हिन्दी अकादमी, कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्रालय द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ने वाले सभी सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि

जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को अंग्रेजों से आजाद कराया, वैसे ही लोकतंत्र रक्षकों ने आपातकाल के दौरान अपनी जान की बाजी लगाकर भारत में लोकतंत्र को जीवित रखा। मुख्यमंत्री ने तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की नीतियों को क्रूर, तानाशाही और असंवेदनशील बताते हुए कहा कि 25 जून, 1975 से शुरू हुआ यह दौर पूरे 21 महीने चला जिसमें लाखों लोगों को बिना कारण जेल में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि उस समय न अपील थी, न दलील और न ही सुनवाई, यह भारत के लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने लोकतंत्र को कुचला और आज वही लोग संविधान की किताबें जेब में लेकर घूमते हैं जबकि असल में उन्होंने ही संविधान का अपमान किया। मुख्यमंत्री ने आपातकाल में गिरफ्तार किए गए नेताओं जैसे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री एल.के. आडवाणी, श्री मदन लाल खुराना, श्री बलराज मधोक आदि का उल्लेख करते हुए उनकी पीड़ा और संघर्ष को याद किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब देश में दोबारा आपातकाल जैसे काले दिन नहीं लौटेंगे और जनता ऐसे किसी भी तानाशाही प्रयास को सहन नहीं करेगी। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की लोकतांत्रिक नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि आज केंद्र और दिल्ली सरकार संविधान और लोकतंत्र की मर्यादाओं का सम्मान करती हैं। मुख्यमंत्री ने 1975 के लोकतंत्र के सेनानियों के सम्मान में पूरे वर्ष कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की और सभी सेनानियों को भारत मां के सच्चे सपूत

कहते हुए उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि इन अभिलेखों को देखने से पता लगता है कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या की गई। रातों रात पूरे विपक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया, अदालतों को अपंग कर दिया गया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, और मीडिया संस्थानों पर ताले जड़ दिए गए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री बलराज मधोक, श्री केदारनाथ सहनी और राजमाता विजयाराजे सिंधिया जैसे नेताओं की गिरफ्तारी के आदेश तक सार्वजनिक नहीं किए गए। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के सेंट्रल पार्क में लगी इस प्रदर्शनी की सबसे अलग बात यह है कि जो दस्तावेज कभी भी पब्लिक को नहीं दिखाए गए उन्हें हमने यहां लगाया है। आपातकाल के समय जिस तरह से भारत के लोकतंत्र की हत्या की गई, देश उसे कभी भुला नहीं पायेगा। यह प्रदर्शनी न केवल इतिहास को सहेजने का एक प्रयास है बल्कि देश को यह याद दिलाने का एक माध्यम भी है कि लोकतंत्र कितनी कठिनाइयों और बलिदानों से बचाया गया।इस अवसर पर दिल्ली सरकार के अन्य कैबिनेट मंत्री, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा और वरिष्ठ पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

संविधान सर्वोच्च है, लोकतंत्र के तीनों अंग इसके तहत काम करते हैं: प्रधान न्यायाधीश गवई

नई दिल्ली (एजेन्सी)। प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई ने बुधवार को कहा कि भारत का संविधान सर्वोच्च है और लोकतंत्र के तीनों अंग संविधान के तहत काम करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन उनकी राय में संविधान सर्वोपरि है। पिछले महीने 52वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले न्यायमूर्ति गवई अपने गृहनगर पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती में अपने अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमेशा इस बात पर चर्चा होती है कि लोकतंत्र का कौन सा अंग सर्वोच्च है-कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका। उन्होंने कहा, हालांकि कई लोग कहते और मानते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन मेरे अनुसार भारत का संविधान सर्वोच्च है। लोकतंत्र के सभी तीनों अंग संविधान के तहत काम करते हैं।

आपातकाल के दौरान मैं 16 साल की उम्र में जेल गया था: शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली (एजेन्सी)। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उस दौर में वह भी 16 वर्ष की उम्र में जेल गए थे। मध्य प्रदेश के चार बार मुख्यमंत्री रह चुके केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपातकाल के दौरान भोपाल में गोलीबारी हुई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे और हजारों लोग गिरफ्तार हुए थे। चौहान ने यहां मीडिया से कहा, संविधान को कुचल दिया गया। पूरा देश एक बड़ी जेल बन गया। और यह सिर्फ इसलिए किया गया ताकि इंदिरा गांधी (प्रधानमंत्री के रूप में) अपनी स्थिति बचा सकें। चौहान ने बताया कि 1975 में जब देश में आपातकाल लागू हुआ उस समय वह किशोर थे और स्कूल पढ़ते थे।

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एस.के.वी. स्कूल, राजौरी गार्डन में छात्रों और शिक्षकों के साथ किया वृक्षारोपण

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। पर्यावरण के प्रति भावनात्मक जुड़ाव और जिम्मेदारी को दशार्ते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजौरी गार्डन स्थित एस.के.वी. स्कूल में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशभर में शुरू की गई है।

पर्यावरण मंत्री जी ने छात्रों और शिक्षकों के साथ मिलकर पौधे लगाए और सभी से अपील की कि हर पौधा अपनी मां को समर्पित करें। उन्होंने कहा, यह सिर्फ वृक्षारोपण नहीं, यह मां के प्रति कृतज्ञता जताने और दिल्ली को हरा-भरा बनाने का एक भावनात्मक माध्यम है।

छात्रों ने इस मौके पर प्रकृति पर कविताएं और संदेश प्रस्तुत किए, जिसे

सभी ने खूब सराहा। पर्यावरण मंत्री सिरसा ने बच्चों के उत्साह की सराहना करते हुए उन्हें दिल्ली का ग्रीन एम्बेसडर कहा जो पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान कर रहे हैं। इस अवसर पर सभी ने पेड़ों की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। मंत्री जी ने कहा कि दिल्ली सरकार ऐसे ठोस और असरदार उपायों पर काम कर रही है जो राजधानी की वायु गुणवत्ता को स्थायी रूप से बेहतर बनाएं, और इसमें छात्रों व समाज की भागीदारी अहम भूमिका निभा रही है।

दिल्ली सरकार ने स्कूलों में चल रहे सभी इको क्लब्स को मिशन लाइफ से जोड़ते हुए पुनः सक्रिय किया है। ये क्लब अब पौधारोपण, ऊर्जा संरक्षण, प्लास्टिक कम करने, कचरा प्रबंधन और स्वस्थ जीवनशैली जैसे विषयों पर काम कर रहे हैं। राजधानी को हराभरा और स्वच्छ बनाने की दिशा में यह अभियान एक मजबूत कदम है, जो खासकर युवाओं के व्यवहार में बदलाव लाकर पर्यावरण की रक्षा करेगा।

सांसद मनोज तिवारी ने आपातकाल को बताया संविधान की हत्या

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी लोकसभा यमुना विहार पर सांसद मनोज तिवारी ने आपातकाल को बताया काला दिवस व संविधान की हत्या। इस मौके पर उत्तर पूर्वी जिला अध्यक्ष डॉ यूके चौधरी, नवीन शाहदरा जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद कुमार निवर्तमान जिलाध्यक्ष पूनम चौहान, आनंद त्रिवेदी, मीडिया प्रभारी दीपक चौहान व विभिन्न संस्थानों से आये युवा मौजूद रहे।

मनोज तिवारी ने कहा कि आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो चुके है और इसको भारत का काला दिवस भी कहा जाता है। तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस ने 25 जून 1975 आपातकाल की घोषणा करो संविधान की हत्या करने का काम किया था। आज जो युवा पीढ़ी है जिनका उस वक़्त जन्म भी नहीं उनको ये पता होना चाहिए कि कैसे कांग्रेस ने संविधान कि हत्या करने का काम किया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की

घोषणा की। मनोज तिवारी ने बताया कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति का प्रतीक था और इसे लागू करना इतिहास का काला दिन था। '25 जून, 1975 एक ऐसी तारीख है, जिसे हम सभी आपातकाल लागू करने के लिए याद करते हैं। इसे स्वतंत्र भारत के इतिहास में काला दिन कहा जाता है।' कांग्रेस द्वारा संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थीं। हम सब कांग्रेस के कुकृत्यों को देश की जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। लाखों लोगों को जेल में डाला गया और कांग्रेस ने यह सब सिर्फ अपने नेता की कुर्सी बचाने के लिए किया।

सत्ता का अहंकार और परिवारवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा: नायब सिंह सैनी

संविधान व संवैधानिक संस्थाओं का पालन व रक्षा करना हम सबका कर्तव्य

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संविधान हत्या दिवस हमें याद दिलाता है कि सत्ता का अहंकार और परिवारवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, और इसका पालन व रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है। संविधान के खिलाफ या उसके मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले कृत्यों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्थानीय कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में संविधान हत्या दिवस पर आयोजित प्रेस वार्त्ता को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे उन सभी वीरों को नमन करते है, जिन्होंने उस समय तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई, जेल गए, यातनाएं सहीं, लेकिन झुके नहीं।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस मना रहा है। 50 वर्ष पहले 25 जून, 1975 को हमारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर आपातकाल लागू कर संविधान की आत्मा की हत्या कर दी गई थी। इसके लिए आंतरिक संकट का हवाला दिया गया, जो दरअसल सत्ता में बने रहने की निजी महत्वाकांक्षा थी। उसके 21 मास बाद तक पूरा देश तानाशाही के चंगुल में रहा। एक मजबूत लोकतंत्र की कल्पना करने वाले लोगों को अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए जेलों में डाल गया और अनेक यातनाएं दी गई। संविधान हत्या दिवस मनाने का उद्देश्य देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में आमजन, विशेषकर नई पीढ़ी को निरंतर सजग बनाये रखना है।

उन्होंने कहा कि आपातकाल केवल संवैधानिक संकट नहीं था, वह लोकतंत्र की उस प्रक्रिया पर हमला था, जो अभिव्यक्ति की आजादी, समानता और न्याय का अधिकार देती है। वह हमला था, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस विचार पर, जिसमें उन्होंने एक राष्ट्र-एक विधान का नारा दिया और उसके लिए खुद को बलिदान कर दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के लोग भी इस संघर्ष में पीछे नहीं रहे। अनेक लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग संविधान की किताब लेकर जगह-जगह घूम रहे हैं और संविधान बचाओ का पाखंड कर रहे हैं। वे ही लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिखे संविधान को खतरे में बता रहे हैं। एक समय था, जब उन्हीं की पार्टी ने रात के अंधेरे में सरेआम संविधान की हत्या कर दी थी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के राजनैतिक पूर्वजों ने देश पर तानाशाही थोपी, प्रेस का गला घोंटा, नेताओं को जेलों में डाला, जबरन नसबंदी का कहर भरपाया, वे किस मुंह से संविधान और लोकतंत्र के रक्षक होने की दुहाई दे रहे हैं। उन्हें लोकतंत्र पर भाषण झाड़ने से पहले लोकतंत्र की हत्या के पाप को स्वीकार करना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनका संविधान बचाओ का नारा

केवल राजनैतिक अवसरवादिता और सत्ता की भूख का प्रतीक है। जबकि वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में संविधान को सर्वोपरि मानकर सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की लोकतांत्रिक भावना पर चल रही है। हमारी सरकार का हर कदम संविधान को मजबूत करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कहा है कि हम अपने लोकतांत्रिक आदर्शों और संविधान को सर्वोपरि मानते हैं।

उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने उस समय लोकतंत्र को कुचला, वही फिर से संविधान की दुहाई देकर समाज में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया था कि यदि भाजपा सत्ता में लौटती है, तो वह संविधान को खत्म कर देगी। संविधान और लोकतंत्र को बार-बार अपमानित करने की उनकी समझ को देश की जनता ने करारा जवाब दिया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को जनादेश दिया। कांग्रेस का इतिहास इस बात का गवाह है कि उसने धारा-370 जैसी विभाजनकारी व्यवस्था को बनाए रखा, 90 से अधिक बार धारा-356 का दुरुपयोग कर राज्य सरकारों को बर्खास्त किया और 75 बार से भी अधिक संविधान में संशोधन कर अपने राजनीतिक हितों को साधने का काम किया। उनके लिए संविधान कोई आदर्श नहीं, बल्कि एक राजनीतिक औजार रहा है। जब भी उन्हें अपनी सत्ता को चुनौती महसूस हुई, उन्होंने संविधान के मूल्यों को बलिदान कर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की एकता, अखंडता को मजबूत करने से लेकर दुश्मनों से देश की सुरक्षा करने के ऐतिहासिक उदाहरण जनता को दिए हैं। जम्मू-कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक राष्ट्र-एक विधान के सपने को साकार करने की बात हो या आप्रेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद व आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना सुनिश्चित करना, पूरी दुनिया इसका लोहा मान रही है।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2014 में सत्ता संभालते ही राज्य सरकार ने हरियाणा में लोकतंत्र सेनानियों की सुध ली और 26 जून, 2015 को रोहतक में पहला लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह आयोजित किया। उस समय हमारी सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में कई घोषणाएं की थीं। उनको अमल में लाते हुए सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों को जीवनसाथी सहित सरकारी कर्मचारियों की तरह चिकित्सा सुविधा देने की व्यवस्था की। हरियाणा रोडवेज की सामान्य बसों में मुफ्त यात्रा और वोल्वो बसों में 75 प्रतिशत किराया माफ किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के लिए मासिक पेंशन शुरू की, जिसे अब बढ़ाकर 20 हजार रुपये मासिक कर दिया गया है। इस समय प्रदेश में 501 लोकतंत्र सेनानियों व उनकी विधवाओं को पेंशन दी जा रही है। इनमें करनाल जिले के भी 53 लोकतंत्र सेनानी शामिल हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि सब मिलकर संकल्प ले कि संविधान की रक्षा के लिए सदैव सजग रहेंगे, लोकतंत्र को फिर कभी किसी तानाशाही प्रवृत्ति का शिकार नहीं होने देंगे और युवाओं को सही इतिहास से अवगत कराएंगे, ताकि वे सच्चे नागरिक बनें सके। इस मौके पर नीलोखेड़ी के विधायक भगवानदास कबीरपंथी, असंध के विधायक योगेंद्र राणा, मेयर रेनू बाला गुप्ता, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीन अत्रे, शहीदी स्मारक अंबाला के निदेशक डॉ. कुलदीप सैनी, मुख्यमंत्री के मीडिया कोर्डिनेटर तुषार सैनी, भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रवीन लाठर, सांसद प्रतिनिधि कविंद्र राणा, जिला प्रभारी भारत भूषण जुयाल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट वेदपाल के अलावा जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त उत्तम सिंह, पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया भी उपस्थित थे।

भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपातकाल को संविधान की हत्या दिवस के रूप में मनाया गया

संजना भारती संवाददाता

टोंक। भाजपा जिलाध्यक्ष चन्द्रवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में अग्रवाल धर्मशाला में मनाया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना का आतिथ्य मिला। कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के निमित टोंक विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकताओं को दो दिवसीय गिरांज महाराज की यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में केबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय और लोकतंत्र का धब्बा है। गहलोत ने कहा कि जिन लोगों ने आपातकाल लगाया वे इस कलंक से कभी मुक्त नहीं हो सकते है। उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के कारण भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और बड़ा गणतंत्र है।उन्होंने कहा कि आपातकाल स्वतंत्रता के बाद देश के इतिहास का एक काला अध्याय है।उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र उन लोगों के संघर्ष के कारण बचा है जिन्होंने आपातकाल लागू किए जाने का विरोध किया था। देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। उस दौर में निरपराध लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया है। अनेक लोगों ने आपातकाल की पूरी अवधि में जेल में गुजारी। आपातकाल में लोगों पर बेइंतहा अत्याचार किए गए। कई प्रतिबंध भी लगाए गए। हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने अनेक कष्ट सहे, लेकिन लोकतंत्र सेनानी लोकतंत्र की रक्षा के लिए अडिग रहे।

भाजपा जिलाध्यक्ष चन्द्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि आपातकाल लगाया जानेवाला दिन, 25 जून सभी को याद दिलाता है कि कांग्रेस सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। वह आपातकाल नहीं बल्कि कांग्रेस का अन्यायकाल था। उन्होंने कहा कि आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय है। उन्होंने कहा कि जेल में बंद कार्यकर्ताओं का मनोबल हमेशा ऊंचा रहा और उन्होंने देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जी-जान से लड़ाई लड़ी। उन्होंने आपातकाल लगाने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का विरोध किया। पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान की मूल भावना को दरकिनार कर लोकतंत्र की आत्मा, संवैधानिक संस्थाओं, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता और नागरिक अधिकारों पर आघात किया।उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरे तक मजबूत हैं। इसको देश ने साबित किया। देश ने आपातकाल के लिए जिम्मेदार लोगों को अपने मतदान की ताकत से दंडित किया। विधायक राजेन्द्र गुर्जर ने कहा कि आपातकाल के दौरान देशवासियों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस की स्वतंत्रता पर सेंसरशिप थोप दी गई और लाखों निर्दोष लोगों को जेलों में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि इस आपातकाल ने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को झकझोर कर रख दिया।उन्होंने कहा कि जब सत्ता डगमगाई, तो संविधान को कुचल दिया।

सम्पादकीय

आपातकाल की 50वीं बरसी....

देश 25 जून, 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भारत में लगाए गए आपातकाल की 50वीं बरसी मना रहा है। मोदी सरकार आपातकाल की अवधि के दौरान अमानवीय पीड़ा झेलने वालों के व्यापक योगदान को याद करने के लिये आज के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है तो दूसरी ओर राजनेता हों या मीडियाकर्मी अथवा सामान्य जन, सभी उस दौर को याद कर कांग्रेस को कोस रहे हैं क्योंकि वह देश की सरकार द्वारा अपनी ही जनता पर किये गये अत्याचार की निर्मम पराकाष्ठा थी। उस समय देश में एक लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया था। देश के जितने भी बड़े विपक्षी नेता थे, सभी के सभी सलाखों के पीछे डाल दिए गए थे। राजनीतिक बंदियों की अपने परिवारों से मुलाकात तक पर पाबंदी लगा दी गई थी। नेता ही नहीं अदालतें भी एक तरह से कैद हो चुकी थीं। किसी को जमानत नहीं दी जा रही थी और मानव अधिकारों के उल्लंघन पर स्वतः संज्ञान नहीं लिया जा रहा था। राजनीतिक कार्यकर्ता जेल में मानसिक-शारीरिक यातनाएं सह रहे थे। पुलिस हिरासत और जेलों में मौत हो रही थीं लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं था। हम आपको बता दें कि देश में आपातकाल के 1975 में आधिकारिक रूप से लागू होने से पहले, ग्रामीण इलाकों में छोटे बच्चे अक्सर बिना कपड़ों के बेफिक्री से दौड़ते-भागते नजर आते थे। लेकिन आपातकाल के दौरान हालात इतने भयावह हो गए थे कि लोगों ने मासूम बच्चों को भी कपड़े पहनाने शुरू कर दिए थे, यह शालीनता की भावना से नहीं हो रहा था बल्कि जबरन नसबंदी की आशंका से उपजा डर था, जिसने पूरे समाज को जकड़ लिया था। सामूहिक नसबंदी अभियान की यादें आज भी जीवित बचे पीड़ितों को परेशान करती हैं क्योंकि कई लोगों की नसबंदी जबरदस्ती की गई थी। अकेले 1976 में, पूरे भारत में 80 लाख से अधिक लोगों की नसबंदी की गई थी। इनमें से ज्यादातर पुरुष थे, जिनमें से कई लोगों की नसबंदी स्वैच्छिक नहीं थी। हम आपको बता दें कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तानाशाह इसलिए बन गयी थीं और देश पर आपातकाल इसलिए थोप दिया था क्योंकि एक पुराना मामला राजनीतिक रूप से उनके लिए बड़ी मुश्किलों का सबब बन गया था। दरअसल 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी राज नारायण को रायबरेली संसदीय क्षेत्र में पराजित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के चार साल बाद राज नारायण ने हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। उन्होंने दलील दी थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, चुनाव में तय सीमा से अधिक पैसे खर्च किए और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को आरोपों में दोषी पाया और छह साल के लिए पद से बेदखल कर दिया तथा इंदिरा गांधी के चिर प्रतिद्वंद्वी राज नारायण सिंह को चुनाव में विजयी घोषित कर दिया था। अदालत के इस फैसले ने देश में बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, हालांकि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाजत दे दी। इस फैसले से विपक्ष में जहां नया जोश आ गया वहीं इंदिरा गांधी बौखला गयी थीं। अपने खिलाफ विपक्ष की एकजुटता और विरोध प्रदर्शन बढ़ते देख इंदिरा गांधी ने 25-26 जून की रात को आपातकाल लगाने का फैसला किया और रात्रि को ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत के साथ भारत में आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में संदेश सुना कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। लोगों को आपातकाल का मतलब तब समझ आया जब उन्हें पता चला कि उनके सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार विरोधी भाषणों और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे जनता नाराज हुई और सड़कों पर उतरने लगी लेकिन सड़क पर उतरने वाले हर शख्स को जेलों में ठूंस दिया गया था। हम आपको बता दें कि आपातकाल के दौरान तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में कुल 48 अध्यादेश लागू किए थे जिसमें आंतरिक सुरक्षा कानून अधिनियम (मीसा) में संशोधन के लिए लाए गए पांच अध्यादेश भी शामिल थे। प्रशासन को बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देने वाले इस कानून को अक्सर दमनकारी कानून की संज्ञा दी जाती है।

जयंती

बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय

जन्म: 26 जून, 1838; मृत्यु: 8 अप्रैल, 1894) 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रकाण्ड विद्वान तथा महान कवि और उपन्यासकार थे। 1874 में प्रसिद्ध देश भक्ति गीत वन्देमातरम की रचना की जिसे बाद में आनन्द मठ नामक उपन्यास में शामिल किया गया। प्रसंगत: ध्यातव्य है कि वन्देमातरम गीत को सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था।

पुण्यतिथि

गोविंद शास्त्री दुगवेकर

मृत्यु-26 जून, 1961 ई., जबलपुर, मध्य प्रदेश) हिन्दी भाषा और साहित्य के अनन्य सेवक तथा बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न कृतिकार थे। 'भारतेंदु नाटक मण्डली' के रूप में शास्त्र शुद्ध हिन्दी-रंगमंच की सर्वप्रथम स्थापना में गोविंद शास्त्री जी का प्रमुख हाथ था। गोविंद सन 1901 ई. के आस-पास काशी चले आये थे और जीवन के शेष 60 वर्षों में अधिकांशत: काशी में ही रहकर साहित्य साधना की। ये ब्रजभाषा तथा खड़ीबोली में बड़ी ही उत्कृष्ट कविता करते थे। बाल-साहित्य के अभाव की पूर्ति के लिए गोविंद शास्त्री ने चित्र-कथा के रूप में बहुत सी कहानियाँ भी लिखी हैं।

कल मिलेंगे

टीचर स्टूडेंट से-ये बताओ कि नदी में नींबू का पेड़ लगा है तो उसे कैसे तोड़ोगे?
स्टूडेंट-चिड़िया बनकर.
टीचर-तुम्हें चिड़िया कौन बनाएगा?
स्टूडेंट-जो नदी में नींबू का पेड़ लगाएगा.

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।

RNI No. : DELHIN/2016/70240

Phone No.: 9871221635
E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com
(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

आपातकाल: आधी रात जब छिन गए थे जनता के सारे अधिकार

देश में आपातकाल लागू होने के बाद कई त्रासद घटनाएं हुईं। दिल्ली का तुर्कमान गेट कांड भी इनमें एक था। मुस्लिम बहुल उस इलाके को संजय गांधी ने दिल्ली के सौंदर्यीकरण के नाम पर खाली करा दिया। यह काम लोगों की सहमति से नहीं, बल्कि जबरन किया गया गया। बुल्डोजर से लोगों के घर ढहाए गए। जिन्होंने विरोध किया, उन्हें जेलों में ठूंस दिया गया

-डॉ. आशीष वशिष्ठ

50 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। पूरा देश इस फैसले से भौंचक रह गया। भारतीय इतिहास में लोकतंत्र का काला दिन था। आपातकाल लगाया गया, जो मार्च 1977 तक चला। इस दौरान भारत में लोकतंत्र लगभग खत्म कर दिया गया और एक तानाशाही शासन की शुरूआत इस दौरान नागरिक अधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन हुआ था।

इंदिरा गांधी की सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया, मीडिया की आजादी छीन ली, लोगों के मौलिक अधिकारों को रौंदा, मानवाधिकारों का उल्लंघन किया और आम नागरिकों को बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और हत्या तक की गई। इस दौर में संविधान को भी कमजोर किया गया। हालांकि, आपातकाल का हर पहलू चौंकाने वाला था, लेकिन खासकर छात्रों पर किए गए अत्याचार बेहद निंदनीय थे। सब कुछ सिर्फ एक परिवार की तानाशाही को बरकरार रखने के लिए।

पहली बार ऐसा मौका था जब देश में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की गई थी। लोगों को आपातकाल के मतलब भी नहीं पता था। आपातकाल की घोषणा के साथ ही आम जनता के सभी मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। किसी तरह की अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार ही नहीं, लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया था। आम जनता, मीडिया समूह, रेडियो, और अन्य प्रचार के माध्यमों पर पूरी पाबंदी लगा दी गई थी। आपातकाल की घोषणा के कुछ घंटे के भीतर की प्रमुख समाचार पत्रों के कार्यालयों में बिजली की आपूर्ति काट दी गई थी। आपातकाल की सूचना के बाद से ही देश में ढूंढ-ढूंढ कर विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया था। तत्कालीन समय के बड़े नेता जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस को जेल में डाल दिया गया। विपक्षी नेताओं के साथ साथ समाज में प्रभाव रखने वाले कांग्रेस के विपरीत विचारधारा वाले सभी लोगों और आम जनता में बेगुनाहों को भी जेल में भर दिया गया था, जेलों में जगह नहीं बची थी। करीब 1,40,000 लोगों आपातकाल में बिना किसी सुनवाई के राजनीतिक बंदी बनाया गया।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपातकाल के दौरान पूरे देश का नियंत्रण गांधी-नेहरू परिवार के हाथ में था। कांग्रेस ने आपातकाल की आड़ में वो सभी काम किए जो ना सिर्फ राजनीतिक लिहाज से अशोभनीय थे बल्कि अमानवीय भी थे। प्रेस में सरकार या आपातकाल की आलोचना करना अपराध की श्रेणी में आ चुका था। प्रेस-मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। हर अखबार में सेंसर अधिकारी तैनात किया गया था। हालात यह थे कि कांग्रेस समर्थित उस अधिकारी के अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। सरकार विरोधी समाचार छापने पर बिना किसी सुनवाई के गिरफ्तारी हो रही थी।

यही नहीं, कांग्रेस का विरोध करने वाले 26 संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। 4 जुलाई 1975 को राष्ट्रीय विचार और भारतीयता के लिए काम करने वाले संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपातकाल के मुखर आलोचक रहे फिल्मी कलाकारों को भी इसका दंश झेलना पड़ा। किशोर कुमार के गानों को रेडियो और दूरदर्शन पर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देव आनंद को भी अनौपचारिक प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था।

देश में आपातकाल लागू होने के बाद कई त्रासद घटनाएं हुईं। दिल्ली का तुर्कमान गेट कांड भी इनमें एक था। मुस्लिम बहुल उस इलाके को संजय गांधी ने दिल्ली के सौंदर्यीकरण के नाम पर खाली करा दिया। यह काम लोगों की सहमति से नहीं, बल्कि जबरन किया गया गया। बुल्डोजर से लोगों के घर ढहाए गए। जिन्होंने विरोध किया, उन्हें जेलों में ठूंस दिया गया। विरोध के दौरान पुलिस ने लाठियां बरसाईं और आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने गोलियां भी चलाईं। चार लोगों की जान चली गई।

संजय गांधी की सनक के चलते सड़क से भिखारियों, झोपड़पट्टी के लोगों और राहगीरों को पकड़ कर जबरन नसबंदी के टार्गेट पूरे किए जाने लगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 18 अक्टूबर 1976 को नसबंदी अभियान का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने सीधी फायरिंग कर दी थी। जिसमें 42 बेगुनाहों की मौत हो गई थी। मृतकों की स्मृति में यहां शहीद चौक बना हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी के दौरान देशभर में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी कर दी गई थी।

21 महीने के बाद जयप्रकाश का आंदोलन निर्णायक मुकाम तक जा पहुंचा। इंदिरा गांधी को सिंहासन छोड़ना पड़ा। मोरारजी देसाई की सरकार ने 28 मई 1977 में आपातकाल के दौरान हुए ज्यादतियों को जानने के लिए जस्टिस जे सी शाह की अध्यक्षता में शाह कमीशन गठित किया। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया था कि जिस वक्त आपातकाल की घोषणा की गई उस वक्त ना देश में आर्थिक हालात खराब थे और ना ही कानून व्यवस्था में किसी तरह की कोई अड़चन थी। इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल अपनी इच्छा के अनुसार लगाया था और इस संबंध में उन्होंने अपने पार्टी के कुछ लोगों को छोड़कर किसी भी सहयोगी से कोई विमर्श नहीं किया था।

आपातकाल में गिरफ्तार किए गए अधिकतर सम्मानित और बुजुर्ग नेताओं को चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता थी, जो उन्हें अस्पताल में मौजूद नहीं कराई गई। इंदिरा गांधी की तानाशाही का एक नमूना इस बात से भी पता चलता है कि शाह आयोग ने नसबंदी कार्यक्रम पर सरकार के रवैए की बेहद आलोचना की थी। आयोग ने कहा था कि पटरी पर रहने वाले और भिखारियों की जबरदस्ती नसबंदी की गई इसके साथ-ऑटो रिक्शा चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए नसबंदी सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया था। आयोग ने यह स्पष्ट रूप से माना था कि सरकारी तंत्र का उपयोग कर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस पूरे आपातकाल का इस्तेमाल किया गया।

जनवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह स्वीकार किया कि वर्ष 1975 में आपातकाल के समय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था। तत्कालीन अटॉर्नी जनरल नीरेन डे ने तब सुप्रीम कोर्ट में यह कबूल किया था कि जीने का अधिकार स्थगित है। आपातकाल के दौरान प्रेस की स्थिति को लेकर एक श्वेत पत्र 1 अगस्त 1977 में संसद में पेश किया गया। सत्या सी पेज के श्वेत पत्र से यह स्पष्ट हुआ कि तानाशाही की इच्छा रखने वाली इंदिरा गांधी ने अपनी अध्यक्षता में तय किया था कि प्रेस काउंसिल को भंग कर दिया जाए और तत्कालीन चारों समाचार एजेंसियों को मिलाकर एक कर दिया जाए, जिससे उन्हें सेंसर करने और संभालने में आसानी होगी।

राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो नेता पिछले कुछ समय अक्सर लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। संसद से सड़क तक वे संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, उन्हें याद दिलाना जरूरी है कि उनकी पार्टी के नेता ने दादागिरी करके इस देश पर 21 महीने आपातकाल लगाकर लोगों को जेल में ठूंस दिया था। असल में, 1975 में लगाया हुआ आपातकाल इंदिरा गांधी की गलती नहीं थी, बल्कि इंदिरा गांधी का "अहंकार" था। दिसंबर 2024 को सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल का उल्लेख किया और कहा, दुनिया में जब भी लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कांग्रेस के माथे से कभी यह कलंक मिट नहीं सकेगा क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। भारतीय संविधान निमार्ताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

भारतीय संसदीय इतिहास के काले अध्याय के 50 साल

12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोषी पाया और छह साल के लिए पद से बेदखल कर दिया। इंदिरा गांधी पर वोटरों को घूस देना, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल, सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल जैसे 14 आरोप सिद्ध हुए लेकिन आदतन श्रीमती गांधी ने उन्हें स्वीकार न करके न्यायपालिका का उपहास किया। राज नारायण ने 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी के हाथों हारने के बाद मामला दाखिल कराया था

-आचार्य डॉ राधेश्याम द्विवेदी

आपातकाल क्या है?-यह किसी देश के संविधान या कानून के अंतर्गत कानूनी उपायों और धाराओं को संदर्भित करता है जो सरकार को असाधारण स्थितियों, जैसे युद्ध, विद्रोह या अन्य संकटों, जो देश की स्थिरता, सुरक्षा या संप्रभुता तथा भारत के लोकतंत्र के लिये खतरा पैदा करते हैं, पर त्वरित एवं प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है।

50 साल पहले क्या थी परिस्थितियां: मामला 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी राज नारायण को पराजित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के चार साल बाद राज नारायण ने हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। उनकी दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग किया, तय सीमा से अधिक पैसे खर्च किए और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किय। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया। इसके बावजूद इंदिरा गांधी टस से मस नहीं हुईं। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी बयान जारी कर कहा था कि इंदिरा का नेतृत्व पार्टी के लिए अपरिहार्य है।

संसद में भारी बहुमत की सरकार रही: 1967 और 1971 के बीच, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ ही संसद में भारी बहुमत को अपने नियंत्रण में कर लिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बजाय, प्रधानमंत्री के सचिवालय के भीतर ही केंद्र सरकार की शक्ति को केंद्रित किया गया।

उच्च न्यायालय द्वारा 6 साल के लिए बेदखल: 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोषी पाया और छह साल के लिए पद से बेदखल कर दिया। इंदिरा गांधी पर वोटरों को घूस देना, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल, सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल जैसे 14 आरोप सिद्ध हुए लेकिन आदतन श्रीमती गांधी ने उन्हें स्वीकार न करके न्यायपालिका का उपहास किया। राज नारायण ने 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी के हाथों हारने के बाद मामला दाखिल कराया था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने यह फैसला सुनाया था। इंदिरा गांधी जी के अपील पर 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाजत दी ।1975 की तपती गर्मी के दौरान अचानक भारतीय राजनीति में भी बेचैनी दिखी। यह सब हुआ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले से जिसमें इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया गया और उन पर छह वर्षों तक कोई भी पद संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

25 जून 1975 को आपातकाल घोषित: इंदिरा गांधी ने इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 25 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी गई।

21 महीने रहा ये काला आपात काल: 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी।

आपातकाल की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकता था: 38वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1975: इसके द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया।

प्रेस पर सेंसरशिप: 1975 के आपातकाल के दौरान, सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया, राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार किया, और जबरन नसबंदी जैसे कई मनमाने फैसले लिए। सरकार ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर सेंसरशिप लगा दी, जिससे वे सरकार की आलोचना नहीं कर पा रहे थे.

गिरफ्तारियां: सरकार ने राजनीतिक विरोधियों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को बिना किसी आरोप के गिरफ्तार कर लिया। राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कर लिया, और नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया। यह भारत के इतिहास में एक काला अध्याय माना जाता है।

जबरन नसबंदी: 1976 में, संजय गांधी के नेतृत्व में, सरकार ने बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी अभियान चलाया, जिसमें लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध देश भर में अनिवार्य पुरुष नसबंदी का आदेश दिया। इस पुरुष नसबंदी के पीछे सरकार की मंशा देश की आबादी को नियंत्रित करना था। इसके अंतर्गत लोगों की इच्छा के विरुद्ध नसबंदी कराई गयी। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में संजय गांधी की भूमिका की सटीक सीमा विवादित है। रुखसाना सुल्ताना एक समाजवादी थीं जो संजय गांधी के करीबी सहयोगियों में से एक होने के लिए जानी जाती थींऔर उन्हें पुरानी दिल्ली के मुस्लिम क्षेत्रों में संजय गांधी के नसबंदी अभियान के नेतृत्व में बहुत कुख्याति मिली थी।

संविधान का दुरुपयोग: आपातकाल लगाने के लिए संविधान के कुछ प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया, जिससे नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, जिससे सरकार को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की अनुमति मिल गई।

मीसा और डीआईआर का दुरुपयोग: आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) और रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम (डीआईआर) जैसे कानूनों का दुरुपयोग किया गया ताकि लोगों को बिना किसी आरोप के गिरफ्तार किया जा सके और उन्हें हिरासत में रखा जा सके।

लोकतंत्र का दमन: आपातकाल ने भारतीय लोकतंत्र को गहरा आघात पहुंचाया और सरकार की आलोचना करने वाली आवाजें दबा दी गईं। आपातकाल के दौरान हुई इन मनमानीयों के कारण, इसे भारत के इतिहास में एक काला अध्याय माना जाता है। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का फिर से किया दावा

(एजेन्सी)।

अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को फिर से दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया और दोनों देशों से कहा कि यदि वे लड़ाई जारी रखेंगे तो अमेरिका उनके साथ व्यापार नहीं करेगा। चार दिनों तक ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान 10 मई को सैन्य टकराव रोकने पर सहमत हुए। ट्रंप ने नीदरलैंड के हेग में नाटो शिखर सम्मेलन के बाद एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भारत और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ व्यापार को लेकर कई बार फोन पर बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मैंने कहा, देखिए, अगर आप एक-दूसरे से लड़ते हैं... यह बहुत बुरा हो रहा था, आप जानते हैं कि पिछला हमला कितना बुरा था। यह वास्तव में बहुत बुरा था। ट्रंप ने कहा, अगर आप एक-दूसरे से लड़ते हैं, तो हम कोई व्यापार समझौता नहीं करेंगे। ट्रंप ने दावा किया, प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वह बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। वह एक महान इंसान हैं। मैंने उन्हें समझाया। मैंने कहा, अगर आप लड़ने जा रहे हैं तो हम व्यापार समझौता नहीं करेंगे...और आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। नहीं, मैं व्यापार समझौता करना चाहता हूं। हमने परमाणु युद्ध रोक दिया। ट्रंप ने कई बार यह दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने में मदद की है। हालांकि, भारत लगातार यह कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ टकराव समाप्त करने पर सहमति दोनों सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशकों (डीजीएमओ) के बीच सीधी बातचीत के बाद बनी थी।

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात की

(एजेन्सी)।

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बुधवार को मॉस्को में एक कार्यक्रम के दौरान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। रूस की यात्रा पर आए थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मॉस्को में प्रिमाकोव रीडिंग्स के दौरान पुराने मित्र रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलकर अच्छा लगा। विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति के प्रमुख थरूर ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के पूर्व राजदूत आंद्रेई डेनिसोव से भी मुलाकात की, जो अब रूसी संघ परिषद की अंतरराष्ट्रीय मामलों की समिति के प्रथम उपाध्यक्ष हैं। वार्षिक प्रिमाकोव रीडिंग्स भारत सहित 40 देशों के अंतरराष्ट्रीय संबंधों और विश्व अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञों की एक बैठक है। हाल में एक बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए थरूर ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले और उसके बाद की सैन्य कार्रवाई के संबंध में भारत का रुख बताने के लिए अमेरिका और चार अन्य देशों का दौरा किया था।

'आंधी' से लेकर 'नसबंदी' तक आपातकाल के दौरान कई फिल्मों को सेंसरशिप का सामना करना पड़ा

(एजेन्सी)।

आपातकाल के 21 महीनों के दौरान सरकार ने कला और सिनेमा जगत पर कठोर सेंसरशिप लागू की थी। इस दौरान ऐसी कई फिल्मों को अपनी विषयवस्तु को लेकर सेंसरशिप का सामना करना पड़ा था, जिनका निर्माण पूरा हो गया था या उन्हें बनाया जा रहा था। यहां उन प्रमुख फिल्मों की सूची दी गई है जिन्हें आपातकाल के दौरान प्रतिबंधित किया गया, जिन पर रोक लगायी गयी या जिन्हें सेंसरशिप का सामना करना पड़ा:

1) आंधी माना जाता है कि यह फिल्म तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन से प्रेरित है। गुलजार की 1975 में आयी इस फिल्म को रिलीज होने के कुछ समय बाद ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि, फिल्म निमार्ताओं ने कहा कि यह एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन सुचित्रा सेन द्वारा निभाए गए मुख्य किरदार आरती देवी और इंदिरा गांधी के बीच समानताओं को नजरअंदाज करना मुश्किल था, खासकर उनके बालों में सफेद धारियां। आपातकाल खत्म होने के बाद फिल्म से प्रतिबंध हटा लिया गया था।

2) किस्सा कुर्सी का फिल्म निमार्ता अमृत नाहटा द्वारा उस वक्त के राजनीतिक परिदृश्य पर व्यंग्य करते हुए बनाई गई इस फिल्म के नेगेटिव को नष्ट कर दिया गया था और इसके प्रिंट को तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री वी.सी. शुक्ला ने जब्त कर लिया था, जो इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी के करीबी थे। फिल्म का मुख्य किरदार गंगाराम संजय गांधी पर आधारित था और इसमें शबाना आजमी, राज बब्बर, राज किरण और उत्पल दत्त भी थे। नाहटा ने फिल्म को दोबारा बनाया और इसे 1978 में रिलीज किया। हालांकि, फिल्म के इस संस्करण को भी सेंसरशिप का सामना करना पड़ा।

3) आंदोलन लेख टंडन द्वारा निर्देशित यह फिल्म 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। यह एक भारतीय शिक्षक के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने गृहनगर में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू करता है। राकेश पांडे और नीतू सिंह अभिनीत इस फिल्म को आपातकाल के दौरान सेंसरशिप का सामना करना पड़ा।

4) चंदा मरुथा पी लंकेश के प्रिय नाटक क्रांति बंटू क्रांति पर आधारित यह कन्नड़ फिल्म आपातकाल लगने से ठीक पहले बनाई गई थी। इसका निर्देशन पट्टाभि राम रेड्डी ने किया था और इसमें उनकी पत्नी स्नेहलता रेड्डी ने अभिनय किया था। स्नेहलता को जेल में डाल दिया गया था और पैरोल पर रिहा होने के पांच दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी।

5) नसबंदी आई एस जौहर द्वारा निर्देशित यह फिल्म आपातकाल के दौरान चलाए गए जबरन नसबंदी अभियान पर व्यंग्य थी। इस फिल्म में उस समय के प्रमुख अभिनेताओं अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, मनोज कुमार और राजेश खन्ना के डुप्लीकेट (हमशक्ल) थे। अपने विवादास्पद विषय के कारण फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन राजनीतिक माहौल बदलने के बाद 1978 में इसे रिलीज किया गया।

6) क्रांति की तरंगें आनंद पटवर्धन द्वारा बनाए गए पहले वृत्तचित्र में बिहार में जेपी आंदोलन की शुरूआत और 1975 में आपातकाल लागू होने से पहले यह कैसे एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया था, इस पर बात की गई थी। आनंद ने 1975 में जब यह फिल्म बनाई थी, तब उनकी उम्र सिर्फ. 25 साल थी और उन्होंने उस समय जन आंदोलन और नागरिक अशांति को दिखाया था, जब मुख्यधारा का मीडिया सरकार के बढ़ते दबाव में था। आपातकाल के दौरान चोरी-चुपके व्यापक रूप से इसका प्रसार किया गया था।

रुपया शुरुआती कारोबार में 13 पैसे की बढ़त के साथ 85 .92 प्रति डॉलर पर

(एजेन्सी)।

इजराइल और ईरान के बीच तनाव समाप्त होने की उम्मीद तथा घरेलू शेयर बाजारों की मजबूत शुरूआत के बीच रुपया बुधवार को शुरूआती कारोबार में 13 पैसे की बढ़त के साथ 85.92 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और विदेशी पूंजी की निकासी ने हालांकि स्थानीय मुद्रा के लाभ को सीमित कर दिया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 86.00 प्रति डॉलर पर खुला। फिर 85.92 प्रति डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से 13 पैसे की बढ़त दशार्ता है।

रुपया मंगलवार को करीब पांच साल में सबसे अधिक एकल दिवसीय बढ़त दर्ज करते हुए 73 पैसे चढ़कर 86.05 पर बंद हुआ था। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 1.30 प्रतिशत की बढ़त के साथ 68.01 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दशार्ने वाला डॉलर सूचकांक 0.06 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 97.91 पर रहा। घरेलू शेयर बाजार में बीएसई सेंसेक्स शुरूआती कारोबार में 426.79 अंक चढ़कर 82,481.90 अंक पर पहुंच गया जबकि निफ्टी 123.25 अंक की बढ़त के साथ 25,167.60 अंक पर रहा।

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 5,266.01 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

ऋषभ पंत और बेन डकेट ने को बड़ा फायदा, गिल ने भी लगाई छलांग

(एजेन्सी)। बुधवार को आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स की ताजा रैंकिंग जारी की है। भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में दो शतक जड़ने के बाद फायदा हुआ है। वह एक स्थान ऊपर चढ़कर सातवें पर पहुंच गए हैं। पंत के खाते में फिलहाल 801 रेटिंग अंक हैं। ये उनके करियर की बेस्ट रेटिंग है। वह टेस्ट में 800 रेटिंग तक पहुंचने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर हैं। उन्होंने लीड्स टेस्ट की पहली पारी में 134 और दूसरी पारी में 118 रन बनाए थे। वह जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर के बाद एक टेस्ट की दोनों पारियों में सेंचुरी मारने वाले दूसरे विकेटकीपर हैं। वह ये कमाल करने वाले कुल सातवें भारतीय हैं। भारत के कप्तान शुभमन गिल और इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट ने बल्लेबाजों की सूची में एक जैसी छलांग लगाई है। दोनों को पांच-पांच स्थानों का लाभ मिला है। जहां गिल 20वें जबकि डकेट आठवें पायदान पर पहुंच गए हैं। गिल (147) नेलीड्स की पहली पारी में शतक जमाया था। डकेट ने पहली पारी में अर्धशतक और दूसरी पारी में सेंचुरी ठोकी। उनकी 149 रनों की पारी के दम पर मेजबान इंग्लैंड ने 371 का टारगेट आसानी से चेज कर लिया था। डकेट को प्लेयरऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया। टॉप 10 बल्लेबाजों की रैंकिंग में केवल दो भारतीय हैं। यशस्वी जायसवाल (101) शतक मारने के बावजूद चौथे स्थान से आगे नहीं बढ़े।

केशव प्रसाद मौर्य ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधरोपित कर पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता का दिया संदेश

संजना भारती संवाददाता
मनोज कुमार बिन्द

प्रयागराज। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में बुधवार को जिला पंचायत सभागार में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आपातकाल दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारम्भ आपातकाल पर आधारित संगोष्ठी से हुआ, जिसमें आपातकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव और लोकतंत्र पर उसके नकारात्मक प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस अवसर पर आपातकाल पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसके माध्यम से उस कालखंड की चुनौतियों और उससे मिले सबक को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। साथ ही, कार्यक्रम स्थल पर आपातकाल पर आधारित एक संक्षिप्त प्रदर्शनी (एग्जीबिशन) भी लगाई गई, जिसमें उस समय की प्रमुख घटनाओं, संघर्षों, विरोध, समाचारों और दस्तावेजों को चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित किया गया। सभी उपस्थित जनों ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रदर्शनी से लोकतंत्र में आपातकाल की त्रासदी से सबक लेने हेतु जागरूकता व प्रेरणादायक पहल बताया।

इस अवसर पर मा0 उपमुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में आपातकाल एवं उससे जुड़ी त्रासदी एवं विप्पतियों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि लोकतंत्र की रक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसे हम ईमानदारी और संवेदनशीलता से निभाएं। उन्होंने कहा कि आज का दिन भारत के इतिहास में लोकतंत्र व संविधान के दृष्टि से काला दिन बनकर अंकित है। उन्होंने कहा कि 1975 के आपातकाल में भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल थोप कर संविधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों का दमन किया गया था और पत्रकारिता को प्रतिबंधित करने, न्यायपालिका के अधिकार सीमित करने एवं विपक्ष के नेताओं को जेल में कैद करने का काम किया गया था। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से ही लोग अपनी इच्छानुसार स्वार्थवश लगाये गये आपातकाल के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक होंगे और आज की पीढ़ी को इतिहास को जानने का मौका मिलेगा। उपमुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि लोकतंत्र सेनानियों ने अपने संघर्ष से संविधान की रक्षा का कार्य नहीं किया होता, तो हमारे पास मताधिकार का भी अधिकार नहीं होता। वर्तमान सरकार संविधान के मूल्यों की रक्षा व मजबूत करने के प्रति दृढ़संकल्पित एवं देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी एवं मा0 मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की हमेशा रक्षा की गयी है और अब कभी भी भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने नहीं दिया जायेगा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटने नहीं दिया जायेगा। इस अवसर पर कार्यक्रम में मा0 उपमुख्यमंत्री जी ने लोकतंत्र सेनानियों को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मा0 सांसद फूलपुर श्री प्रवीण पटेल, मा0 महापौर श्री उमेश चन्द्र गणेश केसरवानी, मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ0 वी0के0 सिंह, मा0 विधायक फूलपुर श्री दीपक पटेल, मा0 विधायक फाफामऊ श्री गुरू प्रसाद मौर्य, भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, गंगापार अध्यक्ष श्रीमती निर्मला पासवान, यमुनापार अध्यक्ष श्री राजेश शुक्ला सहित अन्य मा0 जनप्रतिनिधिगण, लोकतंत्र सेनानियों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में लोक उपस्थित रहे।

उपमुख्यमंत्री जी ने जिला पंचायत परिसर में वृक्षारोपण महाअभियान-2025 के अन्तर्गत एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधरोपित किया और पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर प्रभागीय वनाधिकारी श्री अरविंद कुमार यादव एवं जिला वृक्षारोपण समिति के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

धान की सीधी बिजाई से 35% तक घटेगा ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन: डॉ. प्रमोद तोमर

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। बासमती धान की सीधी बिजाई तकनीक (डी.एस.आर.) न केवल पानी की बचत करेगी बल्कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भी 30 से 35 प्रतिशत तक की कमी लाएगी। यह जानकारी कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के अंतर्गत कार्यरत बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान (बीईडीएफ), मोदीपुरम-मेरठ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. प्रमोद तोमर ने दी। वे करनाल के सेक्टर-12 स्थित जाट भवन में आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यशाला में किसानों को संबोधित कर रहे थे।

इस कार्यशाला का आयोजन एचएफपीसी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया (एफ.पी.ओ.) की ओर से किया गया था, जिसमें हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया।

डॉ. तोमर ने बताया कि जब पंजाब और हरियाणा में लेबर और पानी की किल्लत महसूस हुई, तब डी.एस.आर. तकनीक को अपनाने की दिशा में तेजी आई। यह तकनीक 25 से 30 प्रतिशत तक जल की बचत करने में सक्षम है। साथ ही यह बकानी रोग की संभावना को भी कम करती है। उन्होंने कहा कि एक किलो चावल के उत्पादन में औसतन 3000 लीटर से अधिक पानी की खपत होती है। यदि खेत को लेजर लेवलिंग से समतल किया जाए, तो पानी की बचत और भी बेहतर ढंग से की जा सकती है। परंपरागत रोपाई में 5 से 6 इंच तक पानी खड़ा किया जाता है, जबकि डी.एस.आर. में यह आवश्यकता काफी कम हो जाती है।

डॉ. तोमर ने डी.एस.आर. के तहत तरबतर विधि (पंजाब में प्रचलित) और सूखी बुआई (हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचलित) के बीच का अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने किसानों को यह भी बताया कि बासमती धान की दो प्रजातियां डी.एस.आर. के लिए विशेष रूप से अनुशंसित की गई हैं और 35 दिन पर खेत में पाटा प्रैक्टिस करनी चाहिए।

कार्यशाला में किसानों को मित्र कीटों और शत्रु कीटों की पहचान, प्राकृतिक कीट प्रबंधन विधियां तथा रसायन मुक्त खेती के टिप्स भी दिए गए। डॉ. तोमर ने बताया कि बासमती चावल के निर्यात में गुणवत्ता का विशेष महत्व है और यदि उसमें पैस्टीसाइड के अंश पाए जाते हैं, तो उसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग प्रभावित होती है। पिछले वर्ष देश से 7 लाख टन बासमती चावल का निर्यात हुआ जिससे 50 हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

कार्यक्रम में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, उचानी-करनाल के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. ओ.पी. चौधरी ने एफ.पी.ओ. की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की और किसानों को घरेलू खपत के लिए सब्जियां व फल उगाने की सलाह दी। डॉ. आलोक मुखर्जी, निदेशक, रिसर्च एनालिटिक्स एंड मॉडलिंग, लीड्स कनैक्ट प्रतिष्ठान, ने सेटेलाइट आधारित "शप्तशती पोर्टल" का अनावरण किया और बताया कि कैसे यह पोर्टल फार्म स्तर पर ए.आई. आधारित निर्णय प्रणाली में सहायक होगा। एफ.पी.ओ. के अध्यक्ष डॉ. डी.एस. मलिक ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया जबकि उपाध्यक्ष डॉ. एस.पी. तोमर ने जल प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण और शुद्ध बासमती उत्पादन पर व्यावहारिक जानकारी दी।

इस अवसर पर भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. अनुज कुमार, कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. वजीर सिंह, नाबार्ड के ए.जी.एम. हिमांशु खत्री, निफको नीलोखेड़ी के चेयरमैन डॉ. सरदार सिंह समेत कई विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

नशा व एचआईवी/एसटीआई जागरूकता शिविर का आयोजन, 55 लोगों का हुआ टेस्ट

बस स्टैंड करनाल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सराहनीय पहल

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार शारदा तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं प्राधिकरण की सचिव डॉ. इरम हसन के मार्गदर्शन में बस स्टैंड करनाल पर एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में नागरिकों को नशे से बचाव और एचआईवी/एसटीआई से सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया।

शिविर में सिविल अस्पताल की काउंसलर डॉ. कांता रानी, ममता और पैरा लीगल वॉलंटियर पूजा ने भाग लिया। डॉ. कांता रानी ने बताया कि एचआईवी/एसटीआई की जांच, काउंसलिंग और इलाज सिविल अस्पताल में पूरी तरह निःशुल्क व गोपनीय तरीके से किया जाता है। उन्होंने संक्रमण के प्रमुख

कारणों की जानकारी देते हुए कहा कि असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सिरिंज का प्रयोग, असुरक्षित रक्त चढ़ाना तथा संक्रमित गर्भवती महिला से नवजात को संक्रमण होने की संभावना रहती है। उन्होंने बताया कि संक्रमण से बचाव के लिए निरंतर कंडोम के उपयोग, केवल स्वच्छ व लाइसेंसशुदा ब्लड बैंक से रक्त लेने तथा सुई-सिरिंज के प्रति सतर्कता जरूरी है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एचआईवी का संक्रमण छूने, साथ उठने-बैठने, गले लगने, स्विमिंग पूल या शौचालय के साझा उपयोग से नहीं फैलता।

पैरा लीगल वॉलंटियर पूजा ने जानकारी दी कि यदि एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वह एचआईवी एक्ट 2017 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इस कानून के तहत पीड़ित को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त कानूनी सहायता भी प्राप्त हो सकती है। इस अधिनियम के अंतर्गत दोषियों को दंड व जुमार्ना दोनों हो सकते हैं। शिविर के दौरान सिविल अस्पताल की मेडिकल टीम द्वारा कुल 55 लोगों के एचआईवी टेस्ट किए गए।

गुरुकुल में मार्गदर्शन की भूमिका पर सेमिनार आयोजित, शिक्षकों को मिला प्राचीन और आधुनिक ज्ञान का संगम

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की राज्य स्तरीय परियोजना बाल सलाह, परामर्श व कल्याण केन्द्र के अंतर्गत आज गांव मोर माजरा स्थित आर्य कन्या गुरुकुल (परामर्श केन्द्र संख्या-136) में "गुरुकुल में मार्गदर्शन की भूमिका : प्राचीन ज्ञान और आधुनिक व्यावहारिकता का मिश्रण" विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान मंडलीय बाल कल्याण अधिकारी रोहतक व राज्य नोडल अधिकारी अनिल मलिक ने सभी शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि मेंटरशिप एक ऐसा संबंध है, जिसमें अनुभवी व्यक्ति अपने ज्ञान व अनुभवों को कम अनुभवी लोगों से साझा करता है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में गुरु-शिष्य संबंध मार्गदर्शन का मूल आधार रहा है, जो विश्वास, सम्मान और संवाद पर आधारित होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में प्राचीन ज्ञान और आधुनिक व्यावहारिकता का मिश्रण आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। इससे न केवल शिक्षकों की भूमिका अधिक प्रभावी बनती है, बल्कि छात्रों को डिजिटल साक्षरता और व्यवहारिक कौशल भी मिलते हैं। शिक्षक को यह विश्वास रखना चाहिए कि उनका कार्य देश निर्माण में अहम भूमिका निभाता है।

सेमिनार में परामर्शदाता नीरज कुमार ने कहा कि शिक्षकों व अभिभावकों को बच्चों के मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए और एक ठोस कार्ययोजना बनानी चाहिए।

कार्यक्रम की संयुक्त अध्यक्षता गुरुकुल अध्यक्ष सुखबीर सिंह मान व प्रिंसिपल गुरप्रीत कौर ने की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलू बच्चों के सर्वांगीण विकास में अत्यंत लाभकारी होते हैं। इस अवसर पर आर्य कन्या कॉलेज प्रिंसिपल संदीप खंडवाल, ओमप्रकाश, विजेंद्र मोर, बाल कल्याण परिषद की अधिकारी सुमन शर्मा, आजीवन सदस्य नीरज कुमार, मनीष व अंकित विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश गया कि आज के बदलते समय में गुरुकुलों को प्राचीन शिक्षण परंपराओं के साथ-साथ आधुनिक तकनीकी और व्यवहारिक शिक्षा को भी अपनाना चाहिए, ताकि छात्राएं न केवल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनें, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार हो सकें।

वेद में सूर्य चंद्र और गुरु का महत्व अति विशिष्ट है: चिदात्मन जी महाराज

एसबी ब्यूरो

बीहट/बेगूसराय। सिद्धाश्रम सिमरिया से गोविंद हरे गोपाल हरे जय घोष के साथ रथ यात्रा के साथ पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भक्तों की टोली पूरे सिमरिया धाम क्षेत्र का परिक्रमा करते हुए द्वादश कुंभ स्नान बनाने के लिए राम जानकी घाट पर पहुंचे,वेद समस्त ज्ञान विज्ञान के मूल उत्स है। श्री राम राज्य में वैदिक संपदाओं के कारण किसी प्रकार का भय नहीं था। वेद में सूर्य चंद्र और गुरु का महत्व अति विशिष्ट है इसलिए एक राशि प्रयोग में प्रकृति में अति विशिष्ट आ जाती है। जल जीवन का आधार है जो विशेष अमृत तत्व को प्राप्त करता है तत्वदर्शियों से लेकर विद्वान नेताओं तक सभी एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि सूर्य ही जगत की आत्मा है। सूर्य से ही ब्रह्मांड उत्सर्जित है। भारत का इतिहास अरबों वर्ष प्राचीन है मंत्र, तीर्थ, देव, द्विज संतों में भावना का ही प्रधानता है। शास्त्र अनुसार 12 राशियों पर सूर्य एक-एक महीना रहते हैं

जिसे शौर्य मांस यानी की संक्रांति कहते हैं और चंद्रमा का समय लगभग ढाई दिनों तक रहता है। बृहस्पति प्रत्येक राशि पर एक वर्ष रहते हैं जब एक ही राशि पर इन तीनों का योग होता है। तो वह शास्त्र अनुसार कुंभ योग कहलाता है यह प्रत्येक 12 वर्षों के बाद इस राशि पर पहुंचता है। रुद्राया मलोक अमृतिकरण प्रयोग में वर्णित है। जैसे मेष की संक्रांति में हरिद्वार उज्जैन वैशाख महीना में ब्रिज की संक्रांति में बद्रीनाथ धाम में ज्येष्ठ महीना में मिथुन की संक्रांति में जगन्नाथ धाम आषाढ़ महीना में कारक की संक्रांति में द्वारिका पुरी सावन मास में सिंह की संक्रांति में नासिक में भादवा माह में कन्याओं की संक्रांति में रामेश्वरम आसींद मास में तुला की संक्रांति में सिमरिया धाम कार्तिक महीना में वृश्चिक की संक्रांति में कुरुक्षेत्र अगहन महिना में धनु की संक्रांति में गंगासागर पोस्ट महीना में मकर की संक्रांति में प्रयाग माघ महीना में पुत्र की संक्रांति में कुंभ को फाल्गुन महीना में आसीन की संक्रांति में ब्रह्म कुंड चैत्र महीना में, राजा हर्षवर्धन के सौजन्य से इनमें से लुप्त कुंभ योग प्रयास पुनः आरंभ हुआ परंतु उनकी राज सीमा में ही सिमट कर रह गया जिनमें आज चार जगह का कुंभ मेला विख्यात है।

हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक इसलिए जो लोग आज के कुंभ योग में जगन्नाथ धाम में स्नान नहीं बना सके वह श्रद्धालु किसी कारण बस जगन्नाथ पुरी नहीं पहुंच सके वह द्वादश नाम से प्रसिद्ध मिथिला में द्वादश कुमार बनाकर जीवन सफल बना लिए।

मौके पर रविन्द्र ब्रह्मचारी, दिनेश प्रसाद सिंह, मीडिया प्रभारी नीलमणि, नवीन सिंह, डॉ. धनश्याम झा, डॉ.विजय झा, सत्यानंद, तरुण कुमार, विपिन कुमार, आचार्य नारायण झा, पंडित रमेश झा,राम झा, श्याम झा, लक्ष्मण झा, संजय सिंह, पवन कुमार, निपेनदर सिंह, पप्पू त्यागी, गौरी शंकर सिंह सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद थे।

आपातकाल के 50वां वर्ष पूर्ण होने पर मेडिकल कॉलेज में हुआ कार्यक्रम आयोजित

एसबी ब्यूरो प्रमुख इंतजार हुसैन

बदायूं। आपातकाल के 50वां वर्ष पूर्ण होने एवं आपातकाल दिवस के अवसर पर जिला गोष्ठी व लोकतंत्र सैनानियों का सम्मान समारोह राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्जवलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गोष्ठी से पहले प्रभारी मंत्री गुलाब देवी व अन्य जनप्रतिनिधियों ने राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में एक पेड़ मां के नाम लगाकर वृक्षारोपण किया।

प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने कहा स्वाधीनता आंदोलन के नायक अटल बिहारी वाजपेई, लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी आदि नेता जेल में थे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1975-77 भयाभय था। आपातकाल लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का परिचायक था। जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कहा 25 जून 1975 को लगे आपातकाल में देशवासियों ने जो पीड़ा सही, उसे नई पीढ़ी जान सके, इसी उद्देश्य से मोदी सरकार ने इस दिन को मनाया जा रहा है।

सदर विधायक महेश चन्द्र गुप्ता ने कहा आपातकाल के दौर को नई पीढ़ी को जानना जरूरी है। पूर्व विधायक व लोकतंत्र सैनानी प्रेमस्वरूप पाठक ने कहा आज हम देश की युवा पीढ़ी को यह बताना चाह रहे हैं कि आपातकाल का दौर लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत था।

इस मौके पर लोकतंत्र सैनानी रामकिशोर, लोकतंत्र सैनानी सरोज, दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह, शैलेंद्र मोहन शर्मा, एमपी सिंह राजपूत, धीरज पटेल, आशीष शाक्य, डॉ अमित गुप्ता, डॉ ऋतुज, डॉ वैंकटेश, डॉ मुश्तयाक सहित बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

शिक्षिका के स्थानांतरण पर विद्यालय में विदाई समारोह का हुआ आयोजन

एसबी ब्यूरो

मंसूरचक(बेगूसराय)। बुधवार को नवसृजित प्राथमिक विद्यालय सहनी टोल गणपतोल बीपीएससी शिक्षिका रिचा कुमारी को प्रभारी प्रधानाध्यापक अशर्फी पासवान के द्वारा रिचा कुमारी के स्थानांतरण के फल स्वरुप विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें अन्य शिक्षकों के द्वारा जैसे अंकित सिंह मो. कैसर अंसारी, चंद्रजीत यादव एवं रसोईया कर्मी एवं विद्यालय के छात्र-छात्राओं के द्वारा श्रीमती रिचा कुमारी को दूसरे विद्यालय के योगदान के लिए सम्मानित करते हुए भेजा गया। रिचा कुमारी सभी बच्चों से भावुक होकर उनकी आंखें नम हो गई लगभग उनको 2 साल विद्यालय में बच्चों के साथ हिल मिलकर लगन से पठन-पाठन करवाया। इनका स्थानांतरण छोटी बलिया बेगूसराय में अपने निकटतम ग्राम उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय सालेहचक हुआ।

इतिहास पर आपातकाल का धब्बा, देशवासी नहीं करेंगे माफः डॉ अरविंद शर्मा

'आपातकाल से अछूती युवा पीढ़ी को हकीकत से रूबरू कराना जिम्मेदारी'

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि दुनिया के सबसे बडे.लोकतंत्र भारत और इसके गौरवशाली इतिहास पर आपातकाल गहरा धब्बा था। लोकतंत्र की निर्मम हत्या और ऐसी विभिषका से जहां लोकतंत्र सेनानी व उनके परिवार आज तक नहीं उभर पाए हैं। आज हमारी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र सेनानियों का त्याग इतिहास के पन्नों तक सीमित न रहे और इस हकीकत से अछूती युवा पीढी को उनके संकल्प, साहस से रूबरू कराया जाए।

बुधवार शाम को अग्रसेन धर्मशाला, कैथल में आपातकाल के काले अध्याय से 50 वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने जिला के लोकतंत्र सेनानियों व उनके परिजनों को सम्मानित किया। गणमान्य नागरिकों को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि गौरवशाली इतिहास, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं को अपने में समेटने वाला हमारा देश भारत दुनिया में विश्वगुरू के तौर पर अपनी पहचान रखता है। हमारा गौरव शाली इतिहास रहा है। जिसमे अनेकों ऐसे अवसर है। जिन्हे याद कर सीना चौड़ा हो जाता है।

उन्होंने कहा कि इसी बीच 25 जून 1975 की काली रात में देश में लोकतंत्र की निर्मम हत्या की गई थी। उस विभिषिका से हमारा देश आज भी नहीं उभर सका है। 50 साल पहले, लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में घृणित आपातकाल का घृणित अध्याय जोड़ा गया था। यह वो दिन थे, जो इतिहास में दर्ज ही नहीं हुए, बल्कि देश, देशवासियों की आत्मा पर गहरे घाव छोड़ गए। सत्ता के मद में चूर कांग्रेस सरकार ने रात के सन्नाटे में आपातकाल लागू करके भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर सबसे बड़ा प्रहार किया गया था। उन्होंने कहा कि यह केवल संवैधानिक संकट नहीं था, यह उस आत्मा पर हमला था जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार देती है।

कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के इतिहास का काला दौर था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गईं कि आज भी मन सिहर उठता है। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार की जिद और अहंकार के चलते देश के एक लाख 11 हजार लोगों को आपातकाल की आड में जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई जैसे महान नेताओं को जेलों में डाला गया, प्रेस की स्वतंत्रता छीनी गई, न्यायपालिका को बेबस बनाया गया और नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के इन 21 महीनों में देश के नागरिकों ने न केवल असहनीय पीड़ा झेली, बल्कि अनेकों जघन्य अपराध होते देखे। 1975 में जब आपातकाल लगाया गया तो 24 वर्षीय नरेंद्र मोदी ने लाखों देशवासियों की भांति तत्कालीन सरकार की इस दमनकारी नीति के खिलाफ आवाज उठाई थी।

कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र की इसी चेतना और सतर्कता को जीवित रखने के लिए भाजपा सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों को हर स्तर पर सम्मान देने का कार्य किया है। समय-समय पर उनके परिजनों को सार्वजनिक मंचों पर सम्मानित किया गया है, और उनके गौरवपूर्ण संघर्ष को सराहने हेतु विशेष योजनाएं भी शुरू की गई हैं। वर्ष 2014 में हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इमरजेंसी के दौरान जेल जाने और असहनीय कष्ट सहने वालों को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर सम्मानित करने की परंपरा को शुरू किया व उन्हें लोकतंत्र सेनानी के तौर पर सम्मान दिया। वर्ष 2016 में ऐसे 891 लोगों को चिन्हित करके ताम्र पत्र देकर सम्मानित किया गया। वर्ष 2017 में शुभ्र ज्योत्सना पेंशन योजना के तहत लोकतंत्र सेनानियों व उनकी विधवाओं को पेंशन देने 10 हजार रूपए मासिक पेंशन देने की व्यवस्था की गई। उनके लिए हरियाणा रोडवेज की सामान्य बसों में मुफत यात्रा व वोल्वो बसों में 75 प्रतिशत किराया माफ किया गया। वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1 जुलाई 2024 से उनकी मासिक पेंशन को 10 हजार रूपए से बढाकर 20 हजार रूपए किया है। हमारा प्रयास यही है कि लोकतंत्र सेनानियों का त्याग केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित न रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की स्मृति और प्रेरणा का हिस्सा बने। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मदन गोयल व रेणु डाबला रहे।

इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष ज्योति सैनी, विधायक सतपाल जांबा, जिला प्रभारी अमरपाल राणा, पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा, पूर्व विधायक लीला राम, कुलवंत बाजीगर, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर व मुनीष कठवाड़, नगर परिषद की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग, कार्यक्रम संयोजक अमरजीत छाबड़ा, सुभाष हजवाना, श्याम सुंदर बंसल, बलजिंद्र जांगड़ा, सुरेश संधु, भीम सैन अग्रवाल, शैली मुंजाल, कृष्ण मित्तल, यशपाल प्रजापति, निधि मोहन, गोपाल सैनी आदि मौजूद रहे।

परशुराम पहरावर धाम को मिलकर विकसित करेगा समाजः डॉ अरविंद शर्मा

संजना भारती संवाददाता

कैथल। सहकारिता, कारागार, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण समाज मिलकर परशुराम पहरावर धाम को विकसित करेगा और भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा की स्थापना करेगा। उन्होंने कहा कि समाज की एकजुटता व सर्व समाज के सहयोग से 30 मई को रोहतक के पहरावर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के कोने-कोने, हर गांव, हर गली से विशाल जनसमूह उमड़ा। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर गौड ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के तीसरे कैंपस में तीन शिक्षण संस्थानों का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हाथों शिलान्यास हुआ, जो प्रदेश के युवाओं को रोजगारपरक अवसर उपलब्ध करवाने में अहम योगदान देंगे।

बुधवार दोपहर ब्राह्मण धर्मशाला में सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा के तत्वावधान में प्रदेश के सभी जिलों के ब्राह्मण संगठनों के जिलाध्यक्षों व प्रतिनिधियों द्वारा सुरेंद्र शर्मा बडौता व विजय शर्मा विक्की की अगुवाई में सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा का जोरदार अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए फरसा भेंट किया गया। मंत्री ने ब्राह्मण धर्मशाला में विकास कार्य के लिए 11 लाख रुपये देने की घोषणा भी की। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हाथों गौड ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के तीसरे कैंपस में पांच शिलान्यास होने से 50 साल बाद शुभ शुरूआत हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भगवान परशुराम पब्लिक स्कूल, भगवान परशुराम इंस्टिट्यूट ऑफ लॉ, भगवान परशुराम नर्सिंग कालेज फार गर्ल्स, गौड़ संस्था के प्रशासनिक भवन व भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा का शिलान्यास किया।

उन्होंने कहा कि गौड संस्था से लाखों परिवार की आत्मा जुड़ी हुई है। देश की प्रख्यात संस्थाओं में एक गौड़ संस्था के तीसरे कैंपस को भगवान परशुराम पहरावर धाम के तौर पर विकसित करने का संकल्प लिया गया है, जिसे सर्व समाज की भागीदारी के साथ सिरे चढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में भगवान परशुराम के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। प्रदेश में भाजपा सरकार के दौरान जहां भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर राजकीय अवकाश की परंपरा शुरू हुई। भिवानी में 538 करोड़ रुपये की लागत से पण्डित नेकीराम शर्मा मेडिकल कालेज का निर्माण पूरा हुआ, वही कैथल के सांपन खेड़ी में भगवान परशुराम जी के नाम से एक हजार करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कालेज का निर्माण तेजी से किया जा रहा है।

कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि हमें एकजुट होकर काम करना है, क्योंकि जितना ब्राह्मण समाज एकजुट होगा, उतना समाज को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही गौड़ संस्था की सदस्यता की प्रक्रिया शुरू होगी और उसमें आप सब अपनी भागीदारी जरूर करें। इस अवसर पर सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेन्द्र शर्मा बड़ौता, भाजपा जिलाध्यक्ष ज्योति सैनी, नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि सुरेश गर्ग, राजकुमार शर्मा, विजय शर्मा, कुलदीप कौशिक, अजय कौशिक, रतन शर्मा, अर्जुन शर्मा, सुरेन्द्र शर्मा, सुदामा शर्मा, नरेंद्र कौशिक समेत बड़ी संख्या में विभिन्न जिलों के ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

आगामी एक जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक बैंकों द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में वित्तीय योजनाओं के लिए चलाया जाएगा संतृप्ति अभियानः एडीसी दीपक बाबू लाल करवा

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। एडीसी दीपक बाबू लाल करवा ने कहा कि हरियाणा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा आगामी एक जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक वित्तीय योजनाओं के लिए संतृप्ति अभियान चलाया जाएगा।

इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व अटल पेंशन योजनाओं के तहत रि-वेरिफिकेशन कार्य, इन योजनाओं से नए लोगों को शामिल करने तथा नए अकाउंट खोलने आदि कार्यों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित होंगे। एडीसी दीपक बाबू लाल करवा बुधवार को लघु सचिवालय स्थित वीडियो कांफ्रेंस हॉल में बैंकर्स द्वारा वित्तीय योजनाओं के लिए चलाए जाने वाले संतृप्ति अभियान को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। इससे पहले हरियाणा एसएलबीसी कन्वीनर ललित तनेजा ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इस अभियान को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

एडीसी दीपक बाबू लाल करवा ने कहा कि जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी करें कि वे इस अभियान के तहत लगाए जाने वाले शिविरों में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभाएं।

बैंकों द्वारा दी जाने वाली स्कीमों का पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन स्कीमों से जुड़ने के लिए जागरूक करें। उन्होंने एलडीएम को निर्देश भी जारी किए कि वे शिविरों के आयोजन हेतु जिला स्तर पर शेडयूल तैयार करें। उन्होंने कहा कि 26 जून को जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त करेंगी। इसमें डीडीएम नाबार्ड, डीडीपीओ, जिला परिषद सीईओ, बैंकों के प्रतिनिधि व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में इस अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

इस मौके पर जिला परिषद के सीईओ सुरेश राविश, डीडीपीओ कंवर दमन, एलडीएम एसके नंदा के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

बरसात से गर्मी में मिली राहत, धान रोपाई ने पकड़ी रफ्तारः गुरजीत सिंह

बिना बरसात बौने पड़ रहे थे सिंचाई के लिए किसानों के संसाधन

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग

असंध। क्षेत्र में बुधवार की सुबह हुई लगभग एक घंटा तेज बरसात से जहां एक ओर किसानों के चेहरे खिले हैं वहीं धान की रोपाई ने रफ्तार पकड़ ली है। जलमाना सहित आस पास के किसान गुरजीत सिंह शेखुपुरा, परमजीत सिंह खारा,तरसेम सिंह खारा, हिम्मत सिंह, नरेंद्र सिंह, बूटा सिंह, गुर्जेट सिंह पहलवान, गुरवंत सिंह संधू शेखुपुरा, राजेश जून कुरलन का कहना है कि धान रोपाई के ठीक मौके पर हुई तेज बरसात से धान की फसल को संजीवनी मिलेगी, इससे धान एवं गन्ने की फसल की पैदावार में वृद्धि होगी। इसके साथ ही एक दिन पहले ही विभिन्न क्षेत्रों में बारिश से भी किसानों को खुशी मिली है। आमजन के लिए भी मौसम सुहावना हो गया है। भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिली है, 15 जून से अब तक हुई धान की रोपाई की मुरझाती फसल को लाभ मिला है। बारिश न होने से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बुधवार अल सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदला।

आसमान में बादलों ने करवट ली और झमाझम बारिश शुरू हो गई। इससे पहले फसलों की सिंचाई के लिए किसान खुद के संसाधनों पर निर्भर थे जो खेतों की सिंचाई के लिए नाकाफी थे। जलमाना, उपलाना, उपलानी, चोरकारसा, ठरवा माजरा, ठरी, कुरलन, अलावला, शेखुपुरा मंचूरी सहित आस पास के इलाके में तेज बारिश हुई। जिसपर सरपंच सरबीर दहिया, लाला कैलाश गोयल, रमेश गोयल, किरण प्रजापत, सतबीर सिहमार, डॉ सुरेंद्र नेगल, डॉ विक्की, राजेंद्र जोहल, बलवान सिंह, राजेश राठी आदि ने प्रसन्नता जाहिर की। उनका कहना है कि बारिश होने से उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं धान की फसल को फायदा पहुंचा है।

इस अवसर पर जलमाना में बच्चों व किशोरों ने भीगकर बारिश का लुत्फ उठाया। खेतों में पानी भर गया है। धान रोपाई करने वाले श्रमिकों को भी राहत मिली है।

एसएचओ तितरम ने गांव चंदाना में ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणामों बारे अवगत करवाते हुए नशा ना करने बारे किया जागरूक

संजना भारती संवाददाता

कैथल। नशा मुक्त भारत पखवाड़ा तहत एसपी आस्था मोदी के आदेशानुसार जिला पुलिस द्वारा आमजन को लगातार नशा णा करने बारे जागरूक किया जा रहा है। बुधवार को एस एच ओ तितरम एस आई कृष्ण कुमार की टीम द्वारा गांव चंदाना में ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणामों बारे अवगत करवाते हुए नशा ना करने बारे जागरूक किया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया की इसके अतिरिक्त अन्य एस एच ओ तथा नशा जागरूक टीम द्वारा विभिन्न प्रोग्राम आयोजित करके युवाओं, महिलाओ तथा अन्य आमजन को नशे के दुशप्रभाव बताए गए।

ग्रामीणों को नशे के प्रति जागरूक करते हुए एस एच ओ कृष्ण कुमार ने कहा कि आज का युवा नशे व अपराधों की ओर ज्यादा अग्रसर है। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि अपने बच्चों को नशे से बचाएं व सामाजिक कार्यों में सहयोग के लिये प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता है कि गांव में शांति का माहौल बना रहे और आम जनता में सुरक्षा की भावना बनी रहे। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि गांव में किसी भी प्रकार की गुटबाजी से दुर रहे। यदि कोई गांव में नशा बेचता है या किसी किस्म का अपराध करता है तो उसकी सूचना पुलिस को दें।

सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा व अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 के तहत आए 1961 आवेदन, 445 किए सत्यापित, 1154 की जांच जारी-डॉ. वैशाली शर्मा

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 के तहत नगर निगम कार्यालय में 1961 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 445 आवेदन सत्यापित किए जा चुके हैं, जबकि 1154 आवेदनों की जांच की जा रही है। यह जानकारी नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि आवेदनों की जांच के बाद सम्बंधित व्यक्ति को फोन करके ऑफलाईन माध्यम से नेहरू पैलेस स्थित कार्यालय में वैध मलकियत के दस्तावेज जमा करवाने के लिए कहा जाता है, ताकि सम्बंधित फाईल को सत्यापन के लिए वार्ड जे.ई. के पास भेजी जा सके। उन्होंने आवेदनकताओं से अपील करते कहा कि वह जल्द से जल्द अपने मालिकाना कागजात कार्यालय में जमा करवा दें, ताकि उनकी फाईल को सत्यापित कर डी.पी.आर. तैयार करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को भेजी जा सके।

उन्होंने कहा कि जिन आवेदनकताओं के मकान नगर निगम के लाल डोरा क्षेत्र में आते हैं, वह सम्पत्ति कर शाखा से प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट प्राप्त कर उसे नेहरू पैलेस कार्यालय में जमा करवा दें। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के अपना कच्चा मकान है और वह नगर निगम के वैध क्षेत्र में आता है तथा उसके पास मलकियत के वैध दस्तावेज हैं, तो वह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 में अटल सेवा केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की सालाना आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस भी आवेदनकर्ता के पास मलकियत का सबूत यानि रजिस्ट्री, हस्तांतरण विलेख, जमाबंदी या इंतकाल जैसे मलकियत के दस्तावेज नहीं होंगे और प्लॉट या कच्चा मकान अधिकृत क्षेत्र से बाहर होगा, उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि आवेदनों की जांच के दौरान पाया गया है कि काफी लोगों के प्लॉट नगर निगम क्षेत्र से बाहर हैं, ऐसे लोगों को भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र से बाहर व मलकियत के वैध दस्तावेज न होने के कारण 362 लोगों के आवेदन रद्द किए गए हैं।

निगमायुक्त ने बताया कि इस योजना की विशेष बात यह है कि इसमें केवल बीपीएल ही नहीं बल्कि अन्य मध्यम वर्गीय परिवार भी अटल सेवा केन्द्र से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत नया घर व कच्चे से पक्का मकान बनाने के लिए पात्र व्यक्ति को 2.50 लाख रुपये की अनुदान राशि सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी।

यह रहेगी पात्रता- निगमायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 (पी.एम.ए.वाई.-यू 2.0) के लिए कुछ मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं। इसके अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.), जिनके पास देश भी कहीं भी अपना कोई पक्का मकान नहीं हैं, वह इस योजना का लाभ ले सकता है।

इसके अतिरिक्त प्लॉट या कच्चा मकान अधिकृत क्षेत्र में होना चाहिए और उसके पास वैध मालिकाना सबूत भी होने चाहिएं। वह व्यक्ति योजना के तहत अपने घर का निर्माण करने के पात्र होंगे।

डीसी प्रीति ने ली ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों की बैठक

संजना भारती संवाददाता

कैथल। डीसी प्रीति ने कहा कि समग्र ग्रामीण विकास के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के लिए जिला परिषद, डीडीपीओ, एक्सईएन पंचायती राज व बीडीपीओ कार्यालय आपसी तालमेल बनाकर कार्य करें। इन विभागों के विभागाध्यक्ष योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सरपंच गंभीरता से कार्य करें। यदि कोई सरपंच लापरवाही बरतता है तो उसे नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाए। डीसी ने काम में लपरवाही बरतने पर दो एबीपीओ को नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए।

डीसी प्रीति ने जिले में ग्रामीण विकास के लिए संचालित की जा रही योजनाओं की समीक्षा बैठक में उक्त आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाई जाए और गुणवत्ता के साथ समझौता न किया जाए। मनरेगा के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दिया जाए और सभी की हाजरी शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाए। इससे एक ओर ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य होगा, वहीं दूसरी ओर मनरेगा के तहत आजीविका मिलेगी।

उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि बीडीपीओ एसईपीओ को भी साथ लें और कार्य को गंभीरता से करवाएं। विकास कार्यों का लगातार निरीक्षण करें। अमृत सरोवर में के तहत तालाबों का निरीक्षण कर लंबित कार्य को जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने सांसद निधि योजना के तहत बनने वाले जिम सहित अन्य कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गंभीरता से कार्य करने के आदेश जारी किए और तथ्यों का प्रस्तुतीकरण यथार्थ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत जिनको पहली किश्त जारी की जा चुकी है, तो उनकी दूसरी किस्त में देरी नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा करते हुए कहा कि सरपंच सफाई कार्य की निगरानी करे। बीडीपीओ, डीडीपीओ गांवों में साफ-सफाई का औचक निरीक्षण करते रहें। इस कार्य में कोताही सहन नहीं होगी। बीडीपीओ गंभीरता से कार्य करें। यदि कोई सरपंच साफ-सफाई करवाने के कार्य में लापरवाही बरतता है तो उसे नोटिस जारी करें। उन्होंने बीडीपीओ को निर्देश देते हुए कहा कि बीडीपीओ सिंचाई विभाग की ड्रेनों की सफाई की जल्द से जल्द रिपोर्ट दें। ठोस कचरा प्रबंधन योजना को लेकर जमीनी स्तर पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही विधायक आदर्श ग्राम योजना, स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना, प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम, गोबर्धन, जनसंवाद, सीएम विंडो, ई-लाइब्रेरी, महिला संस्कृति केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर हुए कार्यों की समीक्षा की।

इस मौके पर जिला परिषद के सीईओ सुरेश राविश, डिप्टी सीईओ रितू लाठर, डीडीपीओ कंवर दमन, कार्यकारी अधिकारी नारायणदत्त के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

टी.बी. उन्मूलन की दिशा में एक और कदमः करनाल में अत्याधुनिक अल्ट्रा पोर्टेबल एक्स-रे मशीन का उद्घाटन

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। सिविल सर्जन डॉ. पूनम चौधरी ने सिविल सर्जन कार्यालय में मेदांता फाउंडेशन द्वारा भेंट की गई अत्याधुनिक अल्ट्रा पोर्टेबल एक्स-रे मशीन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉ. चौधरी ने फाउंडेशन के इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया। उन्होंने बताया कि यह मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित है, जो मात्र 2-3 मिनट में एक्स-रे रिपोर्ट प्रदान कर सकती है। इस मशीन का उपयोग मेदांता फाउंडेशन के स्टाफ और स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर संभावित टी.बी. मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए करेंगी ताकि उन्हें समय रहते इलाज मिल सके। उप-सिविल सर्जन (टी.बी.) डॉ. सिम्मी कपूर ने बताया कि टी.बी. एक संक्रामक रोग है जो मरीज के खांसने या छींकने से फैलता है। उन्होंने बताया कि मेदांता फाउंडेशन पूर्व में भी एक मोबाइल क्लीनिक वैन उपलब्ध करा चुका है जिसमें एक्स-रे व सीबीनाट की सुविधा है और यह वैन लगातार ग्रामीण व उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में स्क्रीनिंग कार्य कर रही है। डॉ. कपूर ने बताया कि टी.बी. के लक्षणों में दो सप्ताह से अधिक खांसी, बुखार, वजन कम होना, सांस लेने में परेशानी, भूख न लगना, रात को पसीना आना, थकावट, सीने में दर्द और बलगम में खून आना शामिल हैं। इन लक्षणों के दिखते ही तुरंत नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच करवानी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में टी.बी. के मरीजों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, और सरकार ने इसे अधिसूचित बीमारी घोषित किया है, जिसके तहत सभी निजी अस्पतालों और क्लीनिकों को टी.बी. मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग करनी होती है।